टाइटल कोड - MPHIN7675
Email- haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

वर्ष 1, अंक -2 | अप्रैल 2022 | मूल्य : 5 रुपये

भाजपा को कोई नहीं दे सकता टक्कर: गृहमंत्री मिश्रा

हलधर किसान। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। 6 अप्रैल को सुबह करीब 7 बजे गर्भ गृह में पहुंचे। यहां 20 मिनिट तक पूजन. अर्चन किया। इसके बाद महा निर्वाणी अखाड़े के संतों से मिलने पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि सब सुखी हों, समृद्ध हों, ऐसी प्रार्थना की है। मिश्रा मंदिर के महंत विनीत गिरी जी महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा. भाजपा को कोई टक्कर नहीं दे सकता। कांग्रेस का सूर्य अस्त होने की ओर है, प्रदेश में पांचवी बार भाजपा की सरकार बनेगी ओर शिवराज ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री नरोत्तम ने कहा कि सामाजिक न्याय पखवाड़े में उनकी कार्यकर्ता के रूप में काम करने की पहल सबसे अलग है। उन्होंने कहा कि देश को ऐसी अनूठी पार्टी और प्रधानमंत्री और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो। उन्होंने मध्यप्रदेश में सिमी के स्लीपर सेल, अन्य संगठनों और आतंकियों के सक्रियता पर कहा प्रदेश में किसी भी आतंकी का सिर उठने नहीं दिया जाएगा। जागृत हों या स्लीपर हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम कैंडिडेट को लेकर ये बोले

आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को लेकर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ही अगले सीएम होंगे। कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा है, जब तक परिवारवाद की परंपरा खत्म नहीं होगी, तब तक कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष नहीं बन सकता और भाजपा परिवारवाद से कोसों दूर है।

अफसरों को दी नसीहत

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों और कलेक्टर्स को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि चाहे कलेक्टर हो या अधिकारी किसी को भी आम आदमी को परेशान करने या उसके साथ गलत व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले एक अधिकारी का आम आदमी को फटकार लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसको लेकर अब एमपी के गृहमंत्री ने सख्त कदम उठाए है और अधिकारियों से अपना बर्ताव सही करने की बात कही है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट होगा एमपी का गेहूं, नहीं लगेगा मंडी टैक्स

दिल्ली में निर्यातको के साथ बैठक में सीएम चौहान ने लिए महत्वपुर्ण फैसले

हलधर किसान। मप्र के गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में गेहूं निर्यातकों के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। इन फैसलों में मंडी टैक्स से गेहूं मुक्त रखने का निर्णय महत्वपुर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मौजूदगी में एक्सपोर्टर्स से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन का केंद्र बन चुका है। दो वर्षों में राज्य सरकार ने 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। एमपी व्हीट के नाम से इसकी पूरे देश में साख है। कई कंपनियां आटा बनाकर बेचती है तो उसे भी एमपी व्हीट के नाम से बेचा जाता है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। अगली फसल भी जबरदस्त आ रही है। बम्पर फसल की वजह से गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था। पर अब गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा। हम दुनियाभर में गेहूं को एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए एक्सपोर्टर्स से बातचीत की। उनकी समस्याओं को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश की।

रूस.यूक्रेन युद्ध के चलते दुनियाभर में भारतीय गेहूं के व्यापार के नए अवसर बने हैं। सूडान और थाईलैंड जैसे देश भारतीय गेहूं के नए ग्राहक बन कर उभरे हैं। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ने भी प्रदेश के गेहूं को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं का सीधा फायदा किसानों को पहुंचाने के लिए मंडी टैक्स से मुक्त रखने का फैसला भी लिया है। मध्य प्रदेश में गेहूं के बम्पर उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है। इसके लिए एक्सपोर्टर्स को हरसंभव सुविधा देने की कोशिश की जाएगी।

एक लाइसेंस पर होगी खरीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। वह चाहे मंडी से खरीदे या मंडी के बाहर से। वह किसान के घर या खेत से भी खरीदारी कर सकती है। मंडी में बिकने वाले गेहूं की वैरायटी और ग्रेड का भी उल्लेख होता है। हमने तय किया है कि मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन अनुज्ञा का लाभ एक्सपोर्टर स्वयं या अपने किसी स्थानीय व्यापारी के पंजीयन से ले सकते हैं।

प्रमुख मंडियों में लैब उपलब्ध कराएंगे

सीएम ने कहा कि फसल के वैल्यू एडिशन और क्वालिटी सर्टिफिक्रेशन के लिए प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब उपलब्ध कराई जाएगीण् प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्टर को अधोसंरचना के लिए जमीन की आवश्यकता होने पर रियायती दरों पर जमीन देंगे। प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने पर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करनी पड़ी तो उसके खर्च का भुगतान भी एक्सपोर्टर्स को किया जाएगा। निर्धारित किस्मए ग्रेड और ग्रुणवत्ता वाली फसल के भंडारण और प्रमाणीकरण के लिए पेशेवर और प्रतिष्ठित एजेसियों से अनुबंध कर निर्यात के लिए अस्थायी व्यवस्था भी बनाई जाएगी।

रेलवे ने रैक देने का भरोसा दिया

सीएम ने कहा कि रेलवे के रैक मिलने में दिक्कत होती थी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक के दौरान रैक की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया है। साथ ही पोर्ट पर भी गेहूं रखने की जगह मिलेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से निर्यात कर सकेंगे। इन फैसलों से मध्य प्रदेश के गेहूं का निर्यात तेजी से बढ़ने की उम्मीद की जा रही हैए जिसका फायदा किसानों को मिलेगा।

निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाएगी सभी सुवधिाएं

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब की सुविधायें निर्यातकों को उपलब्ध कराएगी। अगर निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ती है तो सरकार इसके खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की जरुरत होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे।

यह हुए शामिल

दिल्ली में में बैठक में एक्सपोर्टर्स के अलावा चेयरमैन, रेलवे बोर्ड सचिव, केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सचिव, कामर्स मिनिस्ट्री सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज चेयरमेन,ए विक्टोरिया फॉल इंगरीडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात, प्रतीक एग्रो एक्स्पोर्टस, गुजरात विक्टोरिया फूड प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, ग्रो वेल ऑर्गेनिक एण्ड इको प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, ऑल एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, सुपलेटेक इंडस्ट्रीज, अमृतसर मौजूद थे।

ग्रीष्म कालीन फसलों में सब्जियों की खेती मिल सकता है अच्छा मुनाफा

हलधर किसान। रबी सीजन की फसलों की कटाई के बाद किसान ग्रीष्म कालीन फसलों की तैयारी कर रहे है तो वे सब्जियों की खेती कर मुनाफा काम सकते है। हालांकि खेती ज्यादातर मौ सम पर निर्भर करती है। कभी घाटा तो कभी मुनाफा किसानों को उठाना ही पड़ता है। हालांकि किसान मौसम की मार को झेलते आए है, जिसके चलते किसान अब चिंता मुक्त होकर फसलें करने लगे है। अगर किसान अप्रैल माह में फसलों के लिए खेत तैयार किए है तो वे सब्जी. भाजी की खेती कर सकते है। गर्मी के मौसम को कई मुख्य सब्जी लगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इनमें मुख्य रुप से लौकी, भिंडी, करेला, ककड़ी, खीरा, बैंगन व पालक आदि सब्जियां है जो लगाई जा सकती है।

लौकी . में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण के अलावा पर्याप्त मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। बीज को लगाने से पहले 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है।

खीरा . खीरा गर्मियों में सलाद का मुख्य अंश है। सलाद के रूप में इसे बेहद पसंद किया जाता है। इसका सेवन पानी की कमी को दूर करता है। गर्मी से बचाने में भी खीरा सहायक है। मार्च में खीरे की बुवाई की जाती है।

ककड़ी . ककड़ी की बुवाई आसानी से की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर इसकी बुवाई होती है। ककड़ी का सेवन कच्ची अवस्था में सलाद के रूप में किया जाता है।

भिंडी . इस मौसम में सब्जियों में भिंडी मुख्य सब्जी है। अगेती किस्म की बुवाई मार्च में की जाती है। बुवाई के 15.20 दिन बाद पहली निराई.गुड़ाई करना बहुत जरूरी है।

करेला . करेला कई बीमारियों में लाभदायक माना जाता है। इसलिए इसकी मांग भी बाजार में हमेशा बनी रहती है। गर्मियों में तैयार होने वाली यह फसल बहुपयोगी है।

नरवाई न जलाएं किसान, कमा सकते है मुनाफाः कृषि मंत्री पटेल

गौ.शालाओं को उपलब्ध करायें, भूसे का विक्रय कर लाभ कमाये

मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नरवाई को जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है और खेत की मिट्टी में मौजूद कीट मित्र भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। कई बार आसपास की खड़ी फसलों को भी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि नरवाई को जलाने से कभी.कभी बड़ी आगजनी और जनहानि होती है। अतरू किसान भाई नरवाई न जलाएए बल्कि उसका उपयोग पशुआहार के रूप में करें।

भोपाल। रबी सीजन की फसल कटते ही अगली फसल की तैयारी के लिए किसान गेहूं के अवशेषो याने नरवाई को आग के हवाले कर देते है, इससे आगजनी का खतरा तो होता है साथ ही खेती की जमीन में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है।

कृषि कार्यों में मशीनों का भारी पैमाने पर इस्तेमाल अधिकांश खेतों मे कटाई का काम हार्वेस्टर द्वारा होने लगा है। हार्वेस्टर द्वारा खेत कटाई में जमीन से लगभग 6 से 10 इंच उपर फसल की नरवाई कटाई से छूट जाती है। जिसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा समतल करने में काफी खर्च आता है। इस खर्च को बचाने के लिए किसान आसपास के खेतों में खड़ी फसल की परवाह न करते हुए आग के हवाले कर देते है। जिससे प्रतिवर्ष जान एवं माल के नुकसान की घटनाएं सामने आती हैं तथा आग की लपटों में सैकड़ों हरे भरे पेड़.पौधे जल जाते हैं एवं कई बेजुबान जानवरों की मौते हो जाती है।

वर्तमान में गेहूं फसल कटाई का दौर चल रहा है। ऐसे में किसान.कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि नरवाई को जलाये नहीं, उससे लाभ कमाये। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खेतों में गेहूं की फसल आ गई है और कई स्थानों पर कटाई भी शुरू हो गई है। खेतों में अधिकांश कटाई हार्वेस्टर से हो रही है। किसान बंधु नरवाई का समुचित उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं। नरवाई से भूसा बनाये। भूसे का उपयोग पशु आहार में करें।

पराली की मुख्य वजह मशीनें

दरअसल पराली की वजह मशीनें हैं और इस समस्या का निदान भी मशीनों में ही निहित है। पिछले कुछ वर्षों में कंबाइन हार्वेस्टर आ जाने के कारण किसानों को धान एवं गेहूँ से आय अधिक मिली है। कंबाइन हार्वेस्टर से धान.गेहूँ को काटने के पश्चात दोनों फसलों को अवशेष खेत में ही गिर जाते हैं जिससे खेत की जुताई में अधिक लागत एवं परेशानियों का किसानों को सामना करना पड़ता है। जिसके फलस्वरूप किसान खेतों में फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं। जानकारी अनुसार पूरे भारत में लगभग ९०८ करोड़ टन फसल अवशेषों को जला दिया जाता है जिससे काफी मात्रा में पौधों के लिये जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

पर्यावरण को भी पहुंचता है नुकसान

फसल अवशेषों को जलाने से ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड आदि निकलती है जो पर्यावरण एवं मानव जीवन के लिये हानिकारक है। यदि फसल अवशेषों को जलने से न रोका गया तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से तापमान में बढ़ोत्तरी एवं ध्रुवों के किनारों का पिघलना इत्यादि अधिक तेजी से बढ़ेगा जिसका उदाहरण हम जलवायु परिवर्तन में देख रहे हैं।किसानों को फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिये किसानों में इससे होने वाले नुकसान एवं प्रदूषण के बारे में जागरुकता एवं प्रशिक्षण आवश्यक है।

संरक्षण खेती आधारित फसल प्रणालियों को अपनाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, साथ ही उपलब्ध संसाधनों को समुचित उपयोग में भी लाया जा सकता खेतों में अधिकांश कटाई हार्वेस्टर से हो रही है। किसान बंधु नरवाई का समुचित उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं। नरवाई से भूसा बनाये। भूसे का उपयोग पशु आहार में करें।

शरबती गेहूं की कीमत ने तोड़ा 54 साल का रिकॉर्ड, पहली बार 5675 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका

हलधर किसान। शरबती गेहूं एक बार फिर किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होता नजर आ रहा है। साल दर साल शरबती गेहूं दाम बड़ते जा रहे है।

सीहोर जिले के आष्टा कृषि उपज मंडी के 54 साल के इतिहास में पहली बार शरबती गेहूं 5675 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है।

देश भर में गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है सीहोर का गेहूं

इछावर तहसील के दिवड़िया निवासी किसान देवकरण सिंह इस उपज को मंडी में बेचने के लिए आया था। गेहूं की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इसे खरीदने के लिए व्यापारियों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। जानकारी के अनुसार देवकरण सिंह के शरबती गेहूं की उपज को श्रीनाथ ट्रेडर्स ने खरीदा है। आष्टा मंडी सचिव राजेश साकेत ने बताया कि आष्टा मंडी की स्थापना साल 1968 में हुई थीए तब से अब तक इतने ज्यादा भाव में आज तक शरबती गेहूं नहीं बिका है। पांच हजार के आसपास जरूर शरबती गेहूं बिका है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में पहले की तरह आवक 30 हजार क्विंटल से भी अधिक पार करेगी। बता दें आष्टा कृषि उपज मंडी में तीन जिले सीहोर, शाजापुर, देवास के किसान अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं। इससे रबी और खरीफ सीजन के अलावा आम दिनों में भी अच्छी आवक देखने को मिलती है।

सीहोर में बड़ी मात्रा में शरबती गेहूं की खेती की जाती है। जिले में करीब 40390 हेक्टेयर क्षेत्र में इसे बोया जाता है और वार्षिक उत्पादन लगभग 109053 एमटन है। सीहोर जिले में उगने वाला शरबती गेहूं अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। क्षेत्र में काली और जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी है जो शरबती गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। शरबती गेहू को इसके भूरे रंग के चलते द गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है।

यह हथेली पर भारी लगता है और इसका स्वाद मीठा होता है। शरबती किस्म का गेहूं टेस्ट में थोड़ा मीठा होता है।

तेजी से हो रही फसलों की कटाई

सीहोर जिले में रबी फसल कटाई कार्य 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। जिन किसानों ने फसल कटाई कर ली वह अब थ्रेसिंग करने में जुटे हुए हैं। वहींए कई किसान फसल कटाई कर रहे हैं। इसके लिए मजदूरों और हार्वेस्टर मशीन का भी सहारा लिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक रबी फसल की कटाई और थ्रेसिंग का काम शत.प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।

किसानों को बड़ी राहतः अब 15 मई तक चुका सकते है कृषि ऋण, सीएम ने कि घोषणा

हलधर किसान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि.परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे-मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए खरीफफसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

कई किसान भाई.बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। इसके दृष्टिगत खरीफफसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही हैए इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे।

बढ़ी हुई अवधि का 60 करोड़ रूपये राज्य सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रूपये होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।

अब 22 मई तक करा सकते है पीएम किसान सम्मान निधि में ई–केवाईसी

हलधर किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर 4 महीने में 2000 रुपये पाने वाले किसानों के लिए राहतभरी खबर है। इसके तहत रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई.केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसको बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी।

पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है जानकारी के अनुसार किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी किसानों को ई–केवायसी कराने के लिए 22 मई 2022 तक का समय दे दिया गया है। सरकार ने योजना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अगर किसी किसान ने ई.केवाईसी पूरा नहीं किया है, तो उसे किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये नहीं मिलेंगे।

ऐसे करा सकते हैं ई.केवाईसी

ई.केवाईसी कराने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट श्चद्वद्मद्बह्यड्डठ्ठ द्द श1.द्बठ्ठ पर जाएं। यहां होमपेज पर आपको दाएं साइड ई.केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां आप अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा लिखकर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपको एक ओटीप आएगा। यह ओटीपी डालते ही आपका आधार डीटेल्स अपडेट हो जाएगा।

किसानों को मिलते हैं 2000 रुपयें

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत हर 4 महीने में किसानों को 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। ये राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। अब तक इस स्कीम के तहत किसानों को 10 किस्त भेजी जा चुकी हैं।

कैसे चेक करें स्टेटस

पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan gov.in पर जाएं।

यहां आपको फार्मर्स कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई देगा।

फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में लाभार्थी लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें।

फिर ड्रॉप.डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिलाए ब्लॉक और गांव को सलेक्ट करें। इसके बाद रिपोर्ट प्राप्त करें, पर क्लिक करें।

लाभार्थियों की पूरी लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।

भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा मवेशियों को टिक के संक्रमण से बचाने का उपाय

हलधर किसान। भारतीय वैज्ञानिकों ने घरेलू उपायों से पशुओं में संक्रमण फैलाने वाले जीवों का उपचार खोजा है। इसके लिए नीम जिसका वैज्ञानिक नाम अजादिराछा इंडिका है और निर्गुन्डी जिसे वैज्ञानिक तौर पर विटेक्स नेगुंडो के नाम से जाना जाता हैं, इनका उपयोग कर यह दवा या फॉर्मूलेशन तैयार किया है।

शोधकर्ताओं ने इन हर्बल तत्वों से बने उत्पादों को डेयरी पशुओं में टिक के संक्रमण का मुकाबला करने में असरदार पाया है। जो किसान डेयरी पशु उत्पादन पर निर्भर हैं, वे टिक के संक्रमण जैसी पशुओं की बीमारियों से पीड़ित हैं। ये बाहरी परजीवी सभी भौगोलिक क्षेत्रों में मवेशियों के छप्पर में बहुत पाए जाते हैं और तेजी से फैलते हैं।

यह है टीक बीमारी के लक्षण

टिक के कारण पशुओं में भूख न लगना, दूध उत्पादन में कमी हो सकती है, जो किसानों की आय पर भी असर डालती है। ये परजीवी प्रणालीगत प्रोटोजोआ संक्रमण के वाहक हैं, जोकि डेयरी पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए खतरा हैं।

वर्तमान में किसान रासायनिक एसारिसाइड्स पर निर्भर रहते हैं जो कि महंगे भी हैंए परजीवी की प्रकृति के कारण इनका बार.बार उपयोग करना पड़ता है। इससे लागत बढ़ जाती है और शायद ही कभी किसान, विशेष रूप से छोटे, सीमांत किसान, रासायनिक एसारिसाइड की मांग के इस दुष्चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। बाहरी परजीवियों का मुकाबला करने और इसमें लगने वाली लागत को कम करने के उपायों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता जताई गई है। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त निकाय, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक फॉर्मूलेशन विकसित किया है।

गुजरात के गांधीनगर जिले में किए गए अध्ययनों में इस दवा या फॉर्मूलेशन को हार्ड टिक संक्रमण के खिलाफकाफी प्रभावी पाया गया। वहीं कांगड़ा जिले में आयोजित पशु चिकित्सा कॉलेज, पालमपुर हिमाचल प्रदेश के साथ एनआईएफकी सहयोगी गतिविधि में राइपिसेफ्लस एसपी, एटियलॉजिकल परजीवी के खिलाफसमान दर की प्रभावकारिता पाई गई। इन प्रयासों से क्षेत्र के मूल्यांकन के माध्यम से अभ्यास के पैकेज के रूप में तकनीक की सिफारिश की गई थी। पैराएक्सटेंशन स्टाफ को आईसीएआर.कृषि विज्ञान केंद्र, तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, कलासमुथिरम, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। तमिलनाडु सरकार के पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक के सहयोग से तकनीक को लोकप्रिय बनाया था। शोधकर्ताओं ने बताया कि किसान खुद इस दवा या फार्मूलेशन को विकसित कर सकते हैं। इन ज्ञात प्रथाओं को अपनाने तथा किसानों को इस तकनीक को समझने में सहायता की जा रही है। इससे स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं में जोड़ने, क्षमताओं को मजबूत करने, संस्थागत स्वास्थ्य प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने और ज्ञान प्रणाली से लाभ प्राप्त करने में मदद मिली है।

इसके बाद, डेयरी यूनियन ने उपचार लागत को कम करने और परजीवियों के पुनः होने के खतरे को कम करने के लिए डेयरी किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, कर्नाटक के हासन में स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज ने भी संबंधित राज्य में इसे आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तकनीकी के इस संस्थान मॉडल की सिफारिश की है। संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के गठन से व्यापक क्षेत्र में डेयरी किसानों के बीच तकनीक की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद मिली। आईसीएआर.राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थानए करनाल के सहयोग से प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा में प्रणालीगत मूल्यांकन, इससे संबंधित जानकारी को साझा किया गया।

कैसे तैयार किया जाता है दवा या फॉर्मूलेशन को

इस दवा या फॉर्मूलेशन तैयार करने के लिए लगभग 2.5 किलोग्राम नीम की ताजी पत्तियों को एकत्र कर 4 लीटर गुनगुने पानी में रखा जाता है। इसी तरह नागौड के लगभग एक किलोग्राम ताजे पत्तों को एकत्र कर 2 लीटर गुनगुने पानी में रख दिया जाता है। इन दोनों को कम से कम एक घंटे तक गुनगुने पानी में रखा जाता है। बाद में तैयारी को सामान्य कमरे के तापमान में रात भर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। प्रत्येक तैयार किए गए सतह पर तैरने वाला तरल (कच्चा अर्क) एकत्र और संग्रहीत किया जाता है। नीम, नागोड के इन अलग.अलग कच्चे अर्क को आवश्यकता के अनुसार लिंबडा.नीम, नागोड.भिक्षु काली मिर्च को 3. 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस घोल को उपयोग करने से पहले इसमें 3.6 लीटर सामान्य पानी में मिलाया जा सकता है।

पशुओ का कराएं बीमा, मिलेगी 70 प्रतिशत सब्सीडी

हलधर किसान। किसानों की आय में खेती के साथ.साथ पशुपालन का भी योगदान महत्वपूर्ण है। हालांकि फसल और पशु दोनों के लिए असुरक्षा रहती है, जैसे फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद हो जाती है वैसे ही पशु भी बीमारी, मौसम या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को दोनों ही तरह के नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा बीमा योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे किसानों एवं पशुपालकों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

सरकार खेती के साथ ही पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है। मध्यप्रदेश में पशुओं का बीमा कराने पर 70 प्रतिशत की सब्सिडी यानि अनुदान सरकार की ओर से पशुपालकों को दिया जा रहा है। राज्य की इस योजना के तहत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा किया जा सकता है। इसके तहत किसान पशु हानि होने की दशा में बीमा क्लेम प्राप्त कर सकता है। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिये बीमा सुविधा प्रदान कर पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना और होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना में दुधारू पशु सहित अन्य मवेशी भी शामिल हैं। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है।

पशु बीमा योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान

पशुधन बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा के ऊपर वाले हितग्राहियों का 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश और राज्यांश 25.25 प्रतिशत शामिल है। वहीं अनुसूचित जातिए जनजातिए गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों का 70 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केंद्रांश 40 प्रतिशत और राज्यांश 30 प्रतिशत शामिल है। पशुबीमा योजना मध्यप्रदेश की अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के निकटतम पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

इन पशुओं का होगा बीमा

योजना में सभी प्रकार के पशुओं, दुधारू, देशी/संकर गाय.भैंस अन्य पशु जैसे घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश, नर गौ.भैंस वंश आदि का बीमा किया जाता है। एक हितग्राही के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा प्रीमियन अनुदान पर किया जाता है।

पशु बीमा योजना में सब्सिडी का लाभ लेने हेतु पात्रता/शर्तें

पशुबीमा योजना मध्यप्रदेश के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैंए वे इस प्रकार से हैं.

मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी पशुपालक ही इस पशुधन बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

एपीएल और बीपीएल श्रेणी के पशुपालकों के पास श्रेणी से संबंधित कार्ड होना आवश्यक है।

योजना के तहत एक पशुपालक केवल 5 बीमा ले सकते है जिसमें प्रत्येक 1 बीमा में 10 पशु शामिल किए जाएंगे।

इस योजना में पशु पालक कुल मिलाकर 50 जानवरों तक का बीमा करा सकते हैं।

पशुपालक इस बीमा योजना में दुधारू पशुओं के साथ अन्य प्रकार के सभी पशुओं का बीमा भी करा सकते हैं।

पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

देने होंगे ये दस्तावेज

-आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
आवेदन करने वाले का मूल निवास प्रमाण.पत्र
एपीएल और बीपीएल कार्ड
पशु का स्वास्थ्य संबंधी विवरण
पहचान.पत्र
मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक विवरण

अब तक प्रदेश में कितने पशुओं की किया गया है बीमा

पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2014.15 में 11168, वर्ष 2015.16 में 37486, वर्ष 2016.17 में 59113, वर्ष 2017.18 में 38219, वर्ष 2018.19 में 52908ए वर्ष 2019.20 में 52704 पशुओं का बीमा किया गया। इस वर्ष अब तक 48 हजार 200 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि पशुधन बीमा योजना में हितग्राहियों को अब तक 20 करोड़ 21 लाख 41 हजार रुपए दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। पिछले 3 सालों में बीमा कंपनी को 6 करोड़ 94 लाख 94 हजार का प्रीमियम भुगतान किया गया है।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऐसे करें आवेदन

मध्य प्रदेश राज्य के पशुपालक किसान नागरिकों को पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पशु की मौत के 24 घंटे के भीतर विभाग को सूचित करना होगा। इसके बाद विभाग के अधिकारीयों के द्वारा पशु की मृत्यु के कारणों की जांच की जाएगी। मृत्यु के कारणों की जांच सफल होने के बाद 1 माह के अंदर विभाग को बीमा प्रस्तुत करना होगा। 15 दिन के भीतर विभाग को रिपोर्ट भेजे जाने पर बीमा क्लेम राशि प्रदान करनी होगी। बीपीएल श्रेणी से संबंधित परिवारों के लिए जैसे. एसटीए एससी और ओबीसी वर्ग के नागरिकों के लिए बीमा राशि पर 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही एपीएल श्रेणी के नागरिकों के लिए बीमा राशि पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बीमा प्रीमियम राशि एक वर्ष की अवधि के लिए 3 प्रतिशत और तीन वर्ष की अवधि के लिए 7 प्रतिशत होगी।

संपादकीय

बकाए की मार

गन्ना किसान अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से सरकार के रवैए पर सवाल उठाते रहे हैं।उन्होंने कई बार इसके लिए आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार कियाए लेकिन इसके हल की दिशा में अब तक कोई ठोस नीति नहीं बन सकी है। बल्कि हालत यह है कि आज भी गन्ना किसानों को अपने वाजिब हक के लिए इंतजार और संघर्ष करना पड़ रहा है।जब गन्ना किसान अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे होते हैं तब उस पर गौर करना सरकार के संबंधित महकमों को जरूरी नहीं लगता और वे इस मसले पर विचित्र तर्क देते हुए सफाई पेश करने लगते हैं।

मगर खुद सरकार या संसद की ही कोई समिति जब आधिकारिक रूप से किसानों की शिकायत और पीड़ा को सही ठहराती है, उसके बाद भी सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कोई पहल करना जरूरी नहीं लगता।संसद में पेश खाद्य-उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की गन्ना आपूर्ति का बकाया अब भी 16,612 करोड़ रुपए होने पर हैरानी जताई है। समिति ने कहा है कि सरकार बकाया राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों पर दबाव डाल कर उचित उपाय करे और साथ ही बंद और रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए नीति बनाए। यों गन्ना किसानों की समस्याएं जगजाहिर रही हैं और सरकारों को भली.भांति पता है कि इसका समाधान क्या है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार को शायद ही कभी यह जरूरी लगा कि इसके हल के लिए एक नियमित व्यवस्था कायम की जाए। जब भी किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन या विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति सामने आती है, तब सरकार तात्कालिक तौर पर राहत की घोषणा करती है, मगर उसे पूरा करने को लेकर निरंतरता और इच्छाशक्ति कभी नहीं दिखती।

यह बेवजह नहीं है कि गन्ना के बकाए का भुगतान करने के सरकार के दावे के बावजूद बकाए की राशि हजारों करोड़ में दर्ज पाई जाती है। संसदीय समिति ने इस संबंध में भी टिप्पणी की है कि हालांकि गन्ना मूल्य बकाया पहले की तुलना कम हो गया हैए मगर 16,612 करोड़ रुपए की राशि अब भी बहुत ज्यादा है। जाहिर है, इस बकाए की मार आखिरी तौर पर गन्ना किसानों को ही झेलनी पड़ रही है।

गौरतलब है कि केवल उत्तर प्रदेश में करीब चार करोड़ लोगों की रोजी गन्ने की खेती और उससे होने वाली आय से जुड़ी हुई है।चीनी मिलों का रवैया यह है कि वे किसानों को पहले गन्ना पहुंचाने, फिर दाम देने की बात कहते हैं। लेकिन गन्ना किसानों की सबसे बढ़ी समस्या बकाए का समय से भुगतान नहीं होना ही है। निजी मिलों की समस्या अलग स्तर पर जटिल है।जबकि प्रावधान यह है कि गन्ने की आपूर्ति के चौदह दिनों के भीतर किसानों के पैसे का भुगतान कर दिया जाना चाहिए।हकीकत यह है कि 216-17 और उससे पहले के गन्ना मूल्य का भुगतान अब भी बाकी है। अगर इससे परेशान और निराश किसानों ने खेती के अन्य विकल्प अपनाने शुरू कर दिए तब कैसे हालात पैदा होंगे।संसदीय समिति ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है कि समय पर गन्ना मूल्य के बकाए का भुगतान न करना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है जो किसानों को अन्य फसलें उगाने पर मजबूर कर सकता है।सवाल है कि यह स्थिति अगर लंबे समय से बनी हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके हल को लेकर सरकार क्या सोचती है!

किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही केले की खेती, अब तना भी बनेगा कमाई का जरिया

हलधर किसान। केला एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है वही हर वर्ग के लोगों के बजट में भी फिट आता है। इतना ही नही इसे हर उम्र के लोग पसंद करते है ओर रोज की डाईट में इस्तेमाल भी होता है। वैसे तो केले की खेती संभवतया देश के हर राज्य में होती है। यही कारण है कि इसका उत्पादन भारी मात्रा में होता है, लेकिन इतनी मात्रा में पैदावार होने के बाद भी इसकी खेती घाटे का सौदा साबित नहीं होती, इसकी खेती ओर प्रसंस्करण किया जाता तो इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जानकारी अनुसार भारत देश में करीब 2 करोड़ टन से अधिक केले का उत्पादन होता है।

तने को हटाना बनती है समस्या

देश के यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मप्र, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडू जैसे राज्यों के कई जिलों में जलवायु के हिसाब से केले की खेती प्रमुख तौर पर की जाती है।किसानों के अनुसार इसमें सबसे बड़ी समस्या तने को हटाने की होती हे, जिसके लिए किसानों को मोटी रकम खर्च करना पड़ती है।इस कारण कई लोग इस खेती से परहेज करते है, लेकिन इस समस्या से बचने के लिए केले का मूल्य संवर्धन करना समाधान साबित हो सकता है।

अब कमाई का जरिया बन सकता है तना

जानकारी अनुसार तने से प्राकृतिक फायबर निकलता है, इससे धागा, फ्रेब्रिक्स, थर्माकोल और उच्च किस्म का पेपर बनाया जाता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो तना किसानों के लिए परेशानी की जुड़ हुआ करता था वह कमाई का जरिया बन सकता है।इस काम के लिए कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया जा सकता है।किसान कम लागत के साथ प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत कर सकते है, जिससे आमदनी बढ़ सकती है।

यूपी का महिला समूह बनाता है फायबर

उत्तरप्रदेश के लखीमपुर के समैसा गांव में महिलाओं का एक समूह केले के अनुपयोगी तने से रेशा उत्पादन का कार्य करती हैं।इसकी शुरुआत मशीन के जरिए तने से फायबर बनाने के बाद चटाई, दरी और हैंडबैग जैसी वस्तुएं बना रही है।महिलाओं की इस पहल की पीएम मोदी ने भी मन के बाद कार्यक्रम के साथ ही ट्वीट कर सराहना की थी।क्षेत्र सीडीओ अरविंद सिंह के अनुसार केले के पौधे के तने को छीलकर पहले रेशा निकाला जाता है, जो जूट या सन की तरह होता है। इसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जैसे हैंडबैग, कारपेट चटाई, बेल्ट, कपड़े, साड़ी, सोफा कवर, दरी फैंसी कोटी आदि बनाने में कच्चे माल की तरह किया जाता है।इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारी संख्या में लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है। बनाना फायबर की डिमांड सूरत, अहमदाबाद, कानपुर आदि शहरों में है।

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र
हलधर किसान

हलधर किसान के पहले अंक को मिली पाठको की सराहना

हलधर किसान राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र के प्रवेशांक को पाठको की सराहना मिल रही है।हलधर किसान का प्रयास है कि किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की उन्नति के भागीदार बनने वाले किसानों को एक मंच प्रदान किया जाए, उन्हें अपनी बात रखने, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का मंच प्रदान किया जाए। पहले अंक में खेती. किसानी से जुड़ी योजनाओं, नवीन पद्धियों, शासकिय योजनाओं का समावेश किया गया है। हमें आशा है कि उक्त समाचार पत्र में मिलने वाली जानकारी किसानों के लिए कारगर साबित होगी। आगामी अंको में इसमें और अधिक जानकारियों, शोध, उन्नत कृषि आदि को प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। आप भी अपने सुझाव हमें भेज सकते है।

किसानों को अच्छा आदान उपलब्ध कराना कृषि आदान विक्रेताओं की होती है प्राथमिक: श्री जैन

71 की उम्र में 44 डिग्री तापमान के बीच कृषि आदान विक्रेता संघ प्रदेश संगठन मंत्री कर रहे प्रदेश में भ्रमण, संघ एकजुटता के लिए ले रहे व्यापारियों की बैठकें

हलधर किसान भोपाल। खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारी पीढ़ियों से उक्त व्यवसाय में लगे हुए हैं। हमारी प्राथमिकता किसानों को अच्छा आदान उपलबध कराएं, जिससे अच्छा उत्पादन हो और किसान के साथ ही देश की समृद्धि हो। खाद. बीज व्यापारियों और किसानों के भरोसे का ही परिणाम है कि मप्र को कृषि के क्षेत्र में लगातार कृषि कर्मण्य अवार्ड मिले। कुछ अपवादों में यदि समस्या आती है तो, उसके लिए विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हम विक्रेता हैं निर्माता नही। यदि व्यापारियों के लायसेंस निरस्ती या कार्रवाई की बात आती है तो कृषि आदान विक्रेता संघ खुलकर इसका विरोध करता है।

यह बात कृषि आदान विक्रेता संघ के प्रदेश संगठन मंत्री श्री विनोद जैन ने हलधर किसान टीम से चर्चा में कही। श्री जैन ने कहा कि किसी भी संगठन की ताकत उसके पदाधिकारी एवं सदस्य होते है। कृषि आदान विक्रेता संघ अपने सक्रिय पदाधिकारियों के कारण ही बड़ा और मजबुत संगठन है। भ्रमण के दौरान वे पदाधिकारियों की बैठकें ले रहे है, क्योंकि संगठन में आपसी मेलजोल, एक दूसरे के विचार, सुझाव जानने से सक्रियता बनी रहती है। इस बैठक में स्थानीय स्तर पर व्यापार में आ रही समस्याओं को नोट किया जा रहा है। भ्रमण के बाद राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के सामने बैठकों में निकले निष्कर्ष, व्यापारियों की समस्याओं, शिकायतों को संगठन के माध्यम से हल करने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शासन. प्रशासन स्तर पर किस तरह इनका निराकरण किया जाए इसकी रणनीति बनाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले एक पखवाडे से श्री जैन प्रदेश के दौरे पर निकले है और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर आदि संभागों के जिलों में पहुंचकर कृषि आदान विक्रेता संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों की बैठकें ले रहे है। करीब 42 से 44 डिग्री तापमान में संपर्क पर निकले 71 वर्षीय श्री जैन के संगठन के प्रति समर्पण और जुनून को देख व्यापारी उनके जज्बे को सलाम कर रहे है। पचोर जिलाध्यक्ष आदित्य पुरोहित ने बैठक के दौरान कहा की हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रादेशिक पदाधिकारी अध्यक्ष, प्रदेश सचिव जिसमें एक है हमारे आदरणीय प्रादेशिक संगठन मंत्री श्री विनोद कुमार जैन, जिनकी उम्र 71 के के ऊपर है लेकिन जोश जुनून 21 का है। वे हमारे लिये आदर्श है जो उम्र के इस पड़ाव पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए 42 डिग्री तापमान में प्रदेशभर के व्यापारियों की बैठक लेकर उन्हें संगठन की आवाज बना रहे है। पदाधिकारियों का यही समर्पण भाव संगठन को अन्य संगठनों से अलग बनाता है।

बैठक में व्यापारियों ने दिखाई एकजुटता

कृषि आदान संघ के प्रदेश संगठन मंत्री विनोद जैन बैठकों के दौरान व्यापारियों को एकजुटता का संदेश दे रहे है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शासन स्तर पर नियमों में कई बदलाव किए जा रहे है जो व्यापार हित के साथ ही कई नियम व्यापार विरोधी भी है, इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। संघ कृषि आदान विक्रेताओं के हितों उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला सक्रिय संगठन है। यदि हम एकजुट होकर अपने अधिकारों ओर जायज मांगों के लिए आवाज उठाएंगे तो शासन को इस पर गंभीरता दिखानी होगी।

फायदे का सौदा साबित हो रहा सोलर सिस्टम, किसान उठाएं योजना का लाभ

पीएम कुसुम सोलर पंप योजना में सरकार दे रही सब्सीडी

हलधर किसान। पीएम कुसुम योजना केंद्र व राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता दी जाती है। किसानों को सिंचाई का एक अच्छा माध्यम देने के लिये प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की। सरकार द्वारा योजना के लिए 34.422 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रदान किया गया। उम्मदीवार किसानों को 60 प्रतिशत केंद्र सरकार की तरफसे प्रदान किये जाएंगे। इसके साथ 30 प्रतिशत ऋण बैंक द्वारा व दस फीसदी का किसानों को भुगतान करना होगा। यानि 90 प्रतिशत की सब्सीडी मिलती है।

आधुनिक युग में अब कृषि के क्षेत्र में भी नई तकनीक आ गई है। बिना बिजली के भी अब खेतों में फसल की सिंचाई हो रही है। सिंचाई के इस नए तरीके का प्रयोग सुदुर पहाड़ी या यूं कहें वनांचल क्षेत्र के क्षेत्र जहां बिजली नहीं है, वहां के किसान कर रहे हैं। वनांचल व ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 50 किसान सोलर सिस्टम के माध्यम से खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। इससे किसानों की दशा और दिशा बदल गई है।

सोलर सिस्टम से खेतों में सिंचाई हो रही है, ना बिजली की चिंता और ना ही कोई अतिरिक्त बिजली शुल्क। कई किसानों ने अपने खेतों में सिस्टम लगाया है। जिससे सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा से ही मोटर पंप चलता है। सोलर सिस्टम की जानकारी अन्य किसानों को होने के बाद वे भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं।

जानिए, कैसे काम करता है सिस्टम

सौर ऊर्जा संयंत्र में पैनल, बैटरी और केबल महत्वपूर्ण होता है। दिन में सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पैनल पर पड़ती है। पैनल सौर ऊर्जा को संचित विद्युत ऊर्जा के रूप में बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी से सभी इलेक्ट्रानिक वस्तुएं चलाई जाती है। इस सौर ऊर्जा से लाइट बल्ब, पंखा, टीवी भी चला सकते हैं। इसका उपयोग छोटे.बड़े शासकीय विभागों में भी किया जाता है।

उम्मीद के अनुरूप हो रहा उत्पादन

सोलर सिस्टम से किसानों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं। खेतों में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की रहती है। पानी के अभाव में अच्छी फसल भी तबाह हो जाती है। सोलर सिस्टम लग जाने से खेतों में सिंचाई समस्या नहीं आ रही है। इसके पहले जब सोलर सिस्टम नहीं लगा था, तब फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता था। इस वजह से किसानों को उम्मीद के अनुरूप लाभ नहीं हो पाता था। लेकिन अब उम्मीद के अनुरूप फसल उत्पादन हो रहा है।

आय का साधन भी हो सकता है

केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक योजना है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम योजना को साल 2019 में शुरू किया गयाा, जिसके बाद बजट 2020 में वित्त मंत्री ने इस योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत अनुसार बिजली का इस्तेमाल करके बाकी को बेच कर अतिरिक्त इनकम भी कमा सकते हैं। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34.422 करोड़ रुपए खर्च करने का एलान किया है। इसका एक और फायदा है कि सौर एनर्जी से डीजल और बिजली के खर्च से भी राहत मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे जमीन के मालिक या किसान को हर साल एकड़ 60 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है।

90 फीसदी मिल रही है छूट

इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10 फीसदी रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को बैंक खाते में 60 फीसदी सब्सिडी की रकम देती है। इसमें केंद्र और राज्यों की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है।। वहीं बैंक की ओर से 30 फीसदी लोन का प्रावधान है। इस लोन को किसान अपनी होने वाली आमदनी से आसानी से भर सकते हैं।

फजी वेबसाईड से रहे सावधान

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइटों से किसानों से धोखाखड़ी की जा रही है। किसानों से सोलर पंप लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भराने के साथ ही पंप की कीमत भी वसूले जाने की शिकायतें केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय तक पहुंची है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्रालय को किसान हितों को ध्यान में रखकर अपने होम पेज पर इसके लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। किसानों को सावधान किया गया कि वे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से ही इस संबंध में अधिकृत जानकारी प्राप्त करें। किसानों को मंत्रालय से मिलती जुलती वेबसाइट बना कर ठगी का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने खुद ने चार वेबसाइटों का हवाला जारी किया है, जिनके माध्यम से किसानों से अनधिकृत रूप से आवेदन भराए जा रहे हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय यानी एमएनआरई की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1803333 पर डायल करें।

यह है फर्जी वेबसाइड

www.kusumyojnaonline.in.net,
www.pmkisankusumyojna.co.in
www.onlinekusumyojna.org.in
www.pmkisankusumyojna.com

फ्री सोलर पैनल के लिए करें ऑनलाइन

सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेजों की जरूरत भी होती है उन सभी दस्तावेजों की जानकारी लेख में नीचे दी जा रही है। उम्मीदवारों को इन सभी दस्तावेजों को पहले से ही बना कर रखना होता है। यदि आवेदक के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर जाएँ। आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा आपको इस पेज में योजना के बारे में नोटिफिकेशन पढ़ना होगा जो विस्तृत में दिया होगा। आप सभी दिशा.निर्देश पढ़ें।

विद्युत कंपनियों सरकारी गैर सरकारी कंपनियों द्वारा एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी जिसके तहत कुछ नियम बनाये जायेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों के लिए दिशा.निर्देश जारी किये जायेंगें। आवेदन के दोरान आधार कार्ड, जमीनी से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज (खसरा खतौनी), पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, घोषणा पत्र, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। कुसुम योजना/सोलर पैनल योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए आप विद्युत कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। या आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी किये गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

मप्र में स्थापित होंगे 3000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर, किसानों को सस्ती दरों पर मिल सकेंगे आधुनिक उपकरण

हलधर किसान। आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से खेती ओर बागवानी का काम कम समय और खर्च में आसानी से निपटाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार राज्य में तीन हजार कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने जा रही है। इससे किसानों को लाभ होगा। कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसान को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे जिससे उनका खेतीबाड़ी का काम आसान होगा।

यह जवाब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों लोकसभा में सांसद उदय प्रताप सिंह के मध्य प्रदेश में नए कस्टम हायरिंग सेंटर, कौशल विकास केंद्र एवं यंत्र दूत की स्थापना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। मंत्री तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश में 3 हजार नए कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने जा रही है। जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही राज्य में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। वर्तमान समय में खेती और बागवानी के कामों में नए.नए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, हार्वेस्टर सहित अन्य प्रकार की मशीनें और कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

कौशल विकास केंद्रों की होगी स्थापना

कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि नए वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश में 3.000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा राज्य में कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। मौजूदा समय में राज्य भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर और ग्वालियर संभागों में कौशल विकास केंद्र संचालित किए जा रहे है। आगे वित्त वर्ष में उज्जैन, नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल संभागों में 4 नए कौशल विकास केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है। 600 नए कृषि यंत्र प्रणाली स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की यंत्रदूत ग्राम योजना के तहत 600 ग्रामों में यंत्रीकृत कृषि प्रणाली स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत नियोजित तरीके से प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रमों के साथ ही बड़े स्तर पर क्लस्टर प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

कस्टम हायरिंग योजना

मध्यप्रदेश में किसानों को 25 लाख रुपए तक के कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिंक्ड बेक एंडेड सब्सिडी दी जाती है। अनुदान/सब्सिडी की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना में प्रत्येक यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान के अनुसार दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना पर लिए गए बैंक ऋण पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी लाभार्थी किसानों को दिया जाएगा।

कृषि यंत्र किराये पर ले सकते हैं

कस्टम हायरिंग सेंटर में किसानों को आवश्यकता को देखते हुए सभी प्रकार के कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र होते हैं। यहां से किसान निर्धारित किराए का भुगतान करके कृषि यंत्र ले जाकर खेतीबाड़ी या बागवानी का काम कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर में जो कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं उनमें ट्रैक्टर, एमबी/ डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, सेल्फ प्रोपेल्ड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, ट्रैक्टर चालित रीपर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर, थ्रेसर, पावर स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर, पावर वीडर आदि कृषि यंत्र शामिल हैं। इसके अलावा भी कई छोटे.मोटे यंत्र भी कस्टम हायरिंग सेंटर में होते हैं।

केन्द्र की स्थापना हेतु पात्रता एवं शर्तें

कस्टम हायरिंग केंद्र न्यूनतम रुपए 10 लाख तथा अधिकतम 25 लाख तक की लागत में स्थापित किया जा सकेगा।

बैंक ऋण के आधार पर केंद्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जाएगा जो हितग्राही द्वारा बैंक. ऋण की पुर्नअदायगी किए जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा।

योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदकों के साथ.साथ महिला स्व. सहायता समूह ध् संगठन भी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। समूह ध् संगठन में जिस श्रेणी के सदस्यों की संख्या अधिक होगीए समूह ध् संगठन को उसके अनुसार सामान्यए अनुसूचित या जनजाति वर्ग में माना जाएगा।

योजनांतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के न्यूनतम 18 वर्ष आयु के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत अथवा अन्य शासकीय योजना से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

योजना के तहत कृषिए कृषि अभियांत्रिकी एवं उद्यानिकी स्नातकों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। प्राथमिकता सूची में इन आवेदकों के प्रकरणों पर निर्धारित सीमा जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 केंद्रों तक प्राथमिकता दी जाकर विचार किया जाएगा।एक ग्राम एक परिवार तथा एक समूह ध् संगठन को केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिए जाने का प्रावधान है। जिन ग्रामों में पूर्व में केंद्र स्थापित हो चुके है वहीं के लिए आवेदन प्रस्तुत न किए जाए। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबधित कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जाएगा।

जिस ग्राम में केंद्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का मतदाता होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता. पिता के नाम पर भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केंद्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी।

क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशिए जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगाए वापस चुकानी होगी।

स्वीकृति ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जाएगी तथा ऋण स्थगन अवधि अधिकतम 6 माह रहेगी।

स्वीकृति किए गए ऋण को 4 वर्ष अवधि के पुर्न रूप से लौटाया नहीं जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पुर्न रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को दी जानी होगी।

योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/ यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किए गए बैंक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ध् संस्था को हितग्राही द्वारा अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किए जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि माय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किए जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू.राजस्व की भांति की जा सकेगी।

हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों ध् यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों / यंत्रों के रखरखाव शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि की व्यवस्था आवेदक/ हितग्राही को स्वयं करनी होगी।

कस्टम हायरिंग सेंटर अनुदान हेतु कहां करें संपर्क

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के किसानों से कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन संचनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। किसान योजना से जुड़ी अन्य जानकारी अपने संभाग या जिले के कृषि यंत्री या कृषि विभाग से ले सकते हैं।

जैविक खेती के उत्पादों की भी भारी मांग है

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसके तहत जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों से सुझाव मांगे जाएंगे, ताकि समस्याओं को दूर कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार की योजना है कि उद्यानिकी के विस्तार के लिए जिला स्तर पर जिला बागवानी सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी। किसान इस समितियों के सदस्य होंगे। उद्यानिकी फसलों को मवेशियों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत की तारफेंसिंग के लिए भी सरकार अनुदान देगी। उद्यानिकी विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

क्या है जैविक खेती

बता दें कि बढ़ती आबादी ने खेती पर भी दबाव डाला है और सभी को भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में किसानों ने ज्यादा पैदावार के लिए खेती में रसायन और अजैविक पदार्थों का इस्तेमाल शुरू कर दिया लेकिन अब बीतते वक्त के साथ इन रसायनों के इस्तेमाल के नुकसान हम सभी के सामने आ रहे हैं। इससे ना सिर्फ नई.नई बीमारियां फैल रही हैं बल्कि मिट्टी की क्षमता भी खराब हो रही है।

ऐसे में कई किसान फिर से प्राकृतिक खेती की तरफलौट रहे हैं और रसायनिक यूरिया आदि से दूरी बना रहे है। इससे ना सिर्फमिट्टी, पानी की सेहत ठीक रहती है बल्कि प्रदूषण भी नहीं फैलता। यही वजह है कि सरकार भी किसानों के जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020 में भारत में जैविक खेती का बाजार 849 मिलियन डॉलर था, जो कि साल 2026 तक बढ़कर 2601 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। मतलब लोग तेजी से जैविक उत्पादों के इस्तेमाल की तरफजा रहे है। जिसके चलते जैविक खेती के उत्पादों की भी भारी मांग है।

बीज भण्डार™

भारत में तेजी से बढती हुई रिटेल चैन आउटलेट

सभी कंपनियों के उत्कृष्ट क्वालिटी के बीज मिलने का एक मात्र स्थान

मार्केट मूल्य से कम कीमत पर बीज उपलब्ध

बीज भंडार के सीड कार्ड का विमोचन करते हुए माननीय कृषि मंत्री
मध्यप्रदेश शासन श्री कमल जी पटेल एवं खरगोन विधायक श्री रवि जी जोशी

आज ही बीज भंडार में अपनी सदस्यता दर्ज कीजिए और पाइए
आपका स्मार्ट कार्ड – सीड कार्ड।
इतना ही नहीं आपको मिलेंगे सभी कंपनियों
के उच्चतम क्वालिटी के बीज और साथ ही
अर्जित होंगे आपकी हर खरीदी पर अंक।

स्मार्ट किसान का स्मार्ट कार्ड
सीड कार्ड

इसके अलावा कई उत्पादों पर
आकर्षक और विशेष डिस्काउंट

डाउनलोड करें : Google play | अधिक जानकारी के लिए YouTube पर देखें : Beej Bhandar, KisanPlusTv | फॉलो :

ब्रांच-खरगोन/खंडवा/ कुक्षी/बडवाह/राजपुर/अंजड/ धामनोद
इंदौर/ जबलपुर/ मंडलेश्वर/ मनावर/ बरगी/ कसरावद

बीज भंडार की फ्रेंचाईसी लेने के लिए संपर्क करे - 8305103633, 7879428271

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व प्रधान संपादक विवेक जैन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, बलवंत मार्केट, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित व वार्ड क्र.05, विवेकानंद कॉलोनी से प्रकाशित। Titel Code. MPHIN/2022/37675, मोबा. नं. 9826225525, 94254 89337, (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)। प्रधान संपादक - विवेक जैन